आदेश संख्या–17/कोर्ट –14/2018–69(17)
28/1/19

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि डा0 विद्याभूषण सिन्हा, तत्कालीन ट्यूटर, एनाटोमी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना आरोप–पत्र में अन्तर्विष्ट आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के उल्लधंन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि :–

उक्त डा० सिन्हा के विरूद्ध आरोप–पत्र में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

डा० सिन्हा को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री राजीव कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, श्री बालेश्वर प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, स्वास्थ्य विभाग को नियुक्त किया जाता है।

आरोप–पत्र एवं साक्ष्य इसके साथ ही निर्गत किया जा रहा है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि आरोप–पत्र की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28/1/19

(कौशल किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 69(17) /स्वा, पटना, दिनांक :– 28/1/19

प्रतिलिपि :–साक्ष्य तालिका एवं आरोप–पत्र की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, श्री राजीव कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

28/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 69(17) /स्वा, पटना, दिनांक :– 28/1/19

प्रतिलिपि :–साक्ष्य तालिका सहित आरोप–पत्र की एक प्रति श्री बालेश्वर प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17 को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 69(17) /स्वा, पटना, दिनांक :– 28/1/19

प्रतिलिपि :– डा0 विद्याभूषण सिन्हा, तत्कालीन ट्यूटर, एनाटोमी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना /प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 69(17) /स्वा, पटना, दिनांक :– 28/1/19

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव।